"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 — माघ 18, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 (माघ 18, 1939)

क्रमांक-1816/वि. स./विधान/2018 . —– छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 1 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 1412,47,76,900 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2018 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार चार सौ बारह करोड़ सैंतालीस लाख छियत्तर हजार नौ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	100	0	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	28,36,100	0	28,36,100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	15,70,500	0	15,70,500
03	पुलिस	राजस्व	3,48,00,00,000	0	3,48,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	48,95,00,000	0	48,95,00,000
		पूंजी	65,60,00,000	0	65,60,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	4,00,00,000	4,00,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,25,00,00,000	0	4,25,00,00,000
		पूंजी	12,50,00,000	0	12,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,23,16,10,100	0	3,23,16,10,100
		पूंजी	59,35,60,000	0	59,35,60,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	4,16,00,000	0	4,16,00,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	56,58,000	0	56,58,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	1,200	0	1,200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,02,00,00,000	0	1,02,00,00,000
		पूंजी	18,74,40,000	0	18,74,40,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	पूंजी	100	0	100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	200	0	200
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	300	0	300
		पूंजी	100	0	100
	योग -	राजस्व	12,52,27,76,300	0	12,52,27,76,300
		पूंजी	1,56,20,00,600	4,00,00,000	1,60,20,00,600
	वृहद योग		14,08,47,76,900	4,00,00,000	14,12,47,76,900

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 5 फरवरी, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.